ग्राम पंचायत पिछलीहार, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C(15) LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पिछलीहार, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती जय मणि	01.4.15 से 22.1.16
2	श्री कालू राम	23.1.16 से 31.3.18

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राम कृष्ण	01.4.2015 से 31.3.18

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में) (₹)
1	अनुदान राशि का उपयोग न करना	7 (1)	20.23
2	गृहकर की वसूली शेष	8 (क)	0.73
3	रेत व बजरी की खरीद पर अधिक भुगतान	9 (क)	0.03
4	निवदाऐं आमन्त्रित किए बिना अनियमित व्यय	9 (ख)	0.15

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत पिछलीहार, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है, श्री अजीत सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा पिछलीहार में किया गया। पंचायत निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नानुसार हैः—

(क) सामान्य रोकड़ बही/विकास कार्य निधि खाता (क)

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2015—16	3/2016	8/2015
2016—17	2/2017	3/2017
2017—18	10/2017	10/2017

(ख) विकास कार्य निधि (खाता "ख")

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2017—18	8/2017	2/2018

(ग) जलागम परियोजना निधि

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2015—16	3/2016	3/2016
2016—17	3/2017	3/2017
2017—18	4/2017	4/2017

अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ग्राम पंचायत पिछलीहार, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख क आधार पर तैयार किया गया है। किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण होने, गलत होने अथवा उपलब्ध न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत पिछलीहार के लेखों के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है इस राशि को संस्था द्वारा रेखाकिंत चैक संख्या 775237, दिनांक 12.7.2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के नाम भेज दिया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत पिछलीहार के स्वंः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखों की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–

(क) सामान्य रोकड़ बही खाता "क" परिशिष्ट "क"

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष(₹)
2015–16	997501	1847638	2845139	1111829	1733310
2016–17	1733310	2734688	4467998	1784830	2683168
2017–18	2683168	3082798	5765966	2658877	3107089
दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा राशि			3106407	कुल योग	3107089
दिनांक 31.3.18 को हस्तगत राशि			682		

(ख) विकास निधि खाता "ख" खाता खोलने की तिथि 31.3.2017

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष(₹)
2017–18	795399	1532414	2327813	1521653	806160

(ग) जलागम परियोजना निधि

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष(₹)
2015–16	24699	95039	119738	119738	0
2016–17	0	167560	167560	139704	27856
2017–18	27856	156429	184285	172595	11690
दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा राशि			**11690**		

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना व बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत पिछलीहार की रोकड़ बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से

मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी अपेक्षित थी। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना व बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना अनियमित है। अतः नियमों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का मिलान बैंक खातों से करके बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 बैंक खाते में जमा राशि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत पिछलीहार के सचिव से कई बार आग्रह करने के बावजूद भी स्वः स्त्रोतों व अनुदान निधि से सम्बन्धित खाता "क" जिसमें रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2018 को ₹3107089 जमा थी लेकिन पंचायत सचिव द्वारा उक्त खाते में दिनाँक 31.3.2018 को जमा राशि की पुष्टि हेतु सम्बन्धित बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया जिसके अभाव में दिनाँक 31.3.2018 को बैंक में जमा राशि के सही होने की सत्यापना अंकेक्षण पर नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित प्रमाण पत्र लेकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवायें।

7 अनुदानः–

(1) ₹20.23 लाख की अनुदान राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं जिनका विवरण (**परिशिष्ट "ख"**) में दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2018 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹2022879 की राशि शेष दर्शाई गई थी जिस से प्रतीत होता है कि विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त अनुदान राशियों का उपयोग समय सीमा के भीतर नहीं किया गया जिसके चलते धन का अवरोध होने के अतिरिक्त ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनाँक 31.3.2018 को जिन अनुदानों की व्यय करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, उन राशियों को खर्च करने हेतु अनुदानदाता प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐ।

(2) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेखें का रख–रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि

संस्था द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख या अनुदान रजिस्टर जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो, अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2018 को शेष राशियों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः वाँछित अभिलेख का रख–रखाव करके नियमित रूप से अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की वसूलीः–

(क) पंचायत राजस्व (गृहकर) की ₹0.73 लाख की वसूली शेषः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न विवरणानुसार ₹73430 की वसूली दिनाँक 31.3.2018 तक शेष थी। अतः यथासमय गृहकर की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित वसूली यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाऐं।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष में प्राप्ति योग्य राशि (₹)	कुल राशि(₹)	वसूली गई राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015–16	45645	11450	57095	1950	55145
2016–17	55145	12600	67745	225	67520
2017–18	67520	11125	78645	5225	73420

(ख) भू–राजस्व की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में भू–राजस्व की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं की गई थी । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए यथाशीघ्र भू–राजस्व की वसूली सम्बन्धित विभाग से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 (क) रेत व बजरी की खरीद पर ₹0.03 लाख का अधिक भुगतानः–

माह 8/2015 के वाउचर संख्या 42 के द्वारा श्री छविराम ठाकुर को उनके बिल संख्या 209, 210 व 211 दिनाँक 24.8.2015 के माध्यम से 2 टिप्पर रेत व 4 टिप्पर बजरी लाने हेतु (बजौरा से पिछलीहार) ₹4000 प्रति टिप्पर की दर से ₹24000 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में प्राप्त निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि तीन फर्मों से प्राप्त निविदाओं में श्री छवि राम की दर सबसे न्यूनतम ₹3500 प्रति टिप्पर के आधार पर कार्य आबंटित किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान करते समय निविदाओं की दरों के अनुसार भुगतान न करके अधिक दर ₹4000 प्रति टिप्पर की दर से 6 टिप्पर के लिए ₹3000

(500x6) की अधिक अदायगी की गई जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹3000 के अधिक भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना ₹0.15 लाख का अनियमित व्ययः–

वाउचर संख्या 45 माह 8/15 की जाँच करने पर पाया गया कि मैसर्ज संस्कार स्टील व फेब्रिकेशन पतलीकूहल से उनके बिल संख्या 12565, दिनांक 22.8.2015 के माध्यम से ₹14623 का सरिया बिना निविदाऐं आमन्त्रित किए क्रय किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस खरीद को एकल निविदा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति लेकर कृत व्यय का नियमितिकरण करवाया जाए तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

10 निर्माण कार्य के बिलों पर स्त्रोत पर आयकर ₹7705 की कटौती न करनाः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतानों पर आयकर अधिनियम 1961 के नियम 194 (सी) के अन्तर्गत संविदाकारों को ₹30000 या इससे अधिक के भुगतान पर टी0डी0एस0 काटा जाना अपेक्षित था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना न करते हुए स्त्रोत पर आय कर की कटौती नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

वा0सं0/वर्ष	संविदाकार का नाम	कार्य का नाम	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अपेक्षित आयकर की कटौती (₹)
5/2016–17	हीरा लाल	निर्माण सामुदायिक भवन कुकड़ी	पत्थर निकालना	34 cum	1000	34000	680
94/2016–17	हीरा लाल	निर्माण मन्दिर से GPS काथी नाली व मुरम्मत पक्का रास्ता	कट पत्थर	20 cum	1500	30000	600
75/2016–17	धर्मचन्द	निर्माण सौहनाग धुम्बल	कट पत्थर	20 cum	1500	30000	600
83/2016–17	शेर सिंह	निर्माण खेल	गोला	30	750	22500	450

		मैदान जम्दाग्नि ऋषि	पत्थर	cum			
87/2016–17	शेर सिंह	निर्माण सामुदायिक भवन जम्दाग्नि ऋषि	पत्थर तोड़ फोड़	15 cum	850	12750	255
87/2016–17	शेर सिंह	निर्माण सामुदायिक भवन जम्दाग्नि ऋषि	कट पत्थर	25 cum	1600	40000	800
20/2016–17	पुने राम	निर्माण रिटेनिंग वाल	कट पत्थर	30 cum	1600	48000	960
93/2016–17	कुन्ज लाल	निर्माण नाली व पक्का रास्ता कुटला से वीर देवता मन्दिर तक	कट पत्थर	20 cum	1500	30000	600
6/2017–18	पूर्ण चन्द	निर्माण नाली व पक्का रास्ता सड़क से थाचा रंग पुल तक	पत्थर निकालना	20 cum	1500	30000	600
12/2017–18	भोप राम	निर्माण मुरम्मत नाली व पक्का रास्ता सड़क से G.H.S, नेरी तक	कट पत्थर	20 cum	1500	30000	600
1/2017–18	भोप राम	करेट वर्क हेतु पत्थर निकालना	पत्थर तोड़ फोड	70 cum	600	42000	840
3/2017–18	भोप राम	करेट वर्क हेतु पत्थर निकालना	पत्थर तोड़ फोड	60 cum	600	36000	720
					कुल राशि		**₹7705**

11 बिल पारित किये बिना ₹73359 का अनियमित भुगतानः–

मह 3/2017 में वाउचर संख्या 2 के द्वारा मै0 H.P. Agro-industries Corporation LTD को उन के बिल संख्या 37464 दिनाँक 5.3.2017 के माध्यम से क्रय की गई 44 inter-lock cratewire के सन्दर्भ में कृत ₹73359 का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस वाउचर को पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार भुगतान हेतु पारित न होने पर भुगतान किया गया जो उपरोक्त नियमों के अनुसार अनियमित था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले समस्त भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही अदायगी की जानी सुनिश्चित करें।

12 **क्रय निर्माण कार्य सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः—**

निम्न विवरणानुसार विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों से क्रय की गई निर्माण सामग्री के भण्डारण हेतु लगाए गये स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इनके इन्द्राज स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं किये गये जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 69 में किये गये प्रावधानानुसार पंचायत निधि से क्रय की गई प्रत्येक सामग्री के इन्द्राज सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर मं करने के उपरान्त नियम 70 में स्टोर/स्टॉक जारी करने हेतु कृत प्रक्रियानुसार स्टोर/स्टॉक का खारिज किया जाना अपेक्षित था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों के दृष्टिगत न तो भण्डार इन्द्राज किये है और न ही अंकेक्षण को इस सामग्री को जारी किये जाने बारे कोई मांग पत्र या लिखित सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि तथा कथित सामग्री का उपयोग कब, किस कार्य पर कितनी मात्रा में किया गया तथा नियम 71 के अनुसार यदि स्टोर/स्टॉक से जारी की गई सामग्री को कहीं नुकसान हुआ है या शेष बची सामग्री का उपयोग न किया है तो उस सामग्री की कीमत की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित करें व इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	फर्म/व्यक्ति का नाम	बिल सं0	दिनाँक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
94	134	मै0 मनोरमा स्टोन क्रैशर हुरला जिला कुल्लू	254	3.10.17	बजरी व रेत	10926
96	135	—यथोपरि—	253	3.10.17	बजरी व रेत	10926
98	135	—यथोपरि—	257	4.10.17	बजरी व रेत	11808
100	136	—यथोपरि—	256	4.10.17	बजरी व रेत	8961
105	138	श्री राम लाल	—	26.10.17	पत्थर 18 cum @ ₹1200	21600
108 से 112	138 व 139	H.P. State Civil Supply Co.LTD, Shimla	0585994	24.10.17	सीमेंट 247 बैग	72618

114	140	श्री राम लाल	–	26.10.17	पत्थर cum ₹1500	18 @	27000
117	141	रिखी राम	–	26.10.17	पत्थर cum ₹1000	10 @	10000

13 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार रसीद बुकस का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद बुकस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गणना प्रमाण पत्र नहीं दिये गये थे। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त कुछ राशियों हेतु रसीदें नहीं काटी गई थी। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा शेष बची स्टॉक बुकस की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षिता कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितताओ की पुनरावृति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

14 सावधि जमा योजना में निवेश न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं कियाा जाना हो तो उस राशि को पंचायत सभा में प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था ताकि ग्राम पंचायत को सावधि जमा योजना पर मिलने वाले ब्याज के रूप् में अधिक आय अर्जित हो सके। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में अतिरिक्त (Surplus) राशि का निवेश किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में किया जाए ताकि बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा पर अतिरिक्त आय अर्जित हो सके।

15 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक छः माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा

स्टोर / स्टॉक का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3) 31 / 18 खण्ड–1–8138–8141 दिनांक 6.12.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत पिछलीहार, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881